राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

आदेश

एकलपीठ दाण्डिक विविध द्वितीय जमानत आवेदन-पत्र संख्या 4832/2014
अनुराग चित्तौडा बनाम राज. राज्य

30.04.2014

माननीय न्यायाधिपति श्रीमती निशा गुप्ता

श्री प्रवीण जैन, अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी।
श्री एन एस धाकड, लोक अभियोजक वास्ते राज्य।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस स्वतंत्रता के साथ प्रत्याहृत (withdraw) करना चाहते है कि पहले वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जमानत का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेंगे।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को उक्त स्वतंत्रता के साथ प्रार्थना पत्र वापिस लेने की अनुमति दी जाती है एवं प्रार्थना पत्र को प्रत्याहृत (withdra w) करने के आधार पर निरस्त किया जाता है।

(न्या0 निशा गुप्ता)

बीएल जैन/107

All corrections made in the judgement/order have been incorporated in the judgement/order being emailed.
B.L. Jain, PS